(6)

संख्या— 1250 /VI-2/2011—71(6)2011

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग—2 **देहरादूनः दिनांकः 30 नवम्बर, 2011**

विषयः—वित्तीय वर्ष 2011—12 हेतु आयोजनागत पक्ष में विभिन्न योजनाओं में अवचनबद्ध मदों में अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1628/सं0नि0उ0/दो—3/2011—12 दिनांक 16 सितम्बर 2011 तथा शासनादेश संख्या—422/VI-2/2011—71(6)2011 दिनांक 25 अप्रैल, 2011, शासनादेश संख्या—515/VI-2/2011—71(6)2011 दिनांक 30 मई, 2011 एवं शासनादेश संख्या—734/VI-2/2011—71(6)2011 दिनांक 1—8—2011 तथा शासनादेश संख्या—1081/2011 दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, आय—व्ययक आयोजनागत पक्ष में मद संख्या 42—अन्य व्यय, 03 स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान तथा 35—मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु क्रमशः ₹37.50लाख, ₹2.50लाख तथा ₹12.50लाख मात्र अर्थात कुल **₹52.50लाख** (₹बावन लाख पचास हजार) मात्र की धनराशि संलग्नक 'क' के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

2— उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0—209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में विहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त [illegible] किया [illegible] चाहिए।

3— उक्त धनराशि [illegible] जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में

....(2)

मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की समय सारिणी बनाकर ही आहरण करा दी जायेगी।

6– धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीषर्क–2205 के अनुसार संगत मानक मदों के नाम संलग्नक–'क' के विवरणानुसार डाला जायेगा।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या–268(पी)/XXVII(3)/2011–12 दिनांक 25, नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(एन0एस0नेगी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 1250 /VI-2/2011–71(6)2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महाले[redacted]कार, [redacted] पैलेस, सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– निजी [redacted]चिव, [redacted]उत्तराखण्ड शासन।
3– वित्त [redacted]।
4– वित्त [redacted]
5– बजट[redacted] निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, [redacted]त्तराखण्ड सचि[redacted]य, देहरादून।
7– गार्ड [redacted]।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

[redacted]

संलग्नक–'क'

शासनादेश संख्या– 1240 /VI-2/71(6)2011 दिनांक 30 नवम्बर, 2011
अनुदान संख्या–11

(क) 2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय –00

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्राविधानि धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन		
	आयोजनागत	शासनादेश संख्या–1081/2011 दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि की स्वीकृति
1	2	3	4
42– अन्य व्यय	5000	1250	3750
योग–	5000	1250	3750

(ख) 2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्राविधानि धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन		
	आयोजनागत	शासनादेश संख्या–1081/2011 दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि की स्वीकृति
1	2	3	4
03– स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	300	50	250
35–मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	2000	750	1250
योग–	2300	800	1500
महायोग	7300	2050	5250